न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस.

विभागीय अपील संख्या 04/2022

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्टस
हिंगलाजदान चारण तत्कालीन भू.अभिलेख निरीक्षक बिसलपुर प्रतिनियुक्ति जिला कलेक्टर कार्यालय जोधपुर हाल भू.अभिलेख निरीक्षक दईकडा तहसील एवं जिला जोधपुर		जिला कलेक्टर (भू0अ0) जोधपुर।

विभागीय अपील अन्तर्गत नियम 23 राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियम एवं अपील) नियम, 1958 विरूद्ध आदेश कमांक/भू0अ0/स्थापना/2021/6107 दिनांक 12–7–2021 जो जिला कलेक्टर (भू.अ.) जोधपुर द्वारा सी.सी.ए..नियम 17 के अन्तर्गत पारित करते हुए अपीलांट को परिनिन्दा (censure) के दण्ड से दण्डित किया।

निर्णय

दिनांक: 8 मार्च, 2022

अपीलान्ट के द्वारा यह विभागीय अपील जिला कलेक्टर (भू.अ.) जोधपुर के निर्णय दिनांक 12–07–2021 जिसके द्वारा अपीलान्ट को सी.सी.ए..नियम 17 के अन्तर्गत आदेश पारित करते हुए अपीलांट को परिनिन्दा (censure) के दण्ड से दण्डित किये जाने पर, उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष राज0 असैनिक सेवाये नियम,1958 के नियम 23 के तहत दिनांक 17–1–2022 को प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जिला कलेक्टर,(भू.अ.)जोधपुर से उक्त अपील पर उनकी बिन्दूवार टिप्पणी एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित मूल अभिलेख पत्रावली को तलब किया गया।

अपीलान्ट के विरूद्ध जिला कलेक्टर (भू.अ.)जोधपुर के पत्रांक/भू.अ/वि.जां./2020/10818 दिनांक 24.12.2020 के द्वारा राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं पुनर्विचार) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन प्रस्तावित जांच मे निम्न आरोप से आरोपित किया गया –

आरोप संख्या एकः–यह है कि आप हिंगलाज दान चारण तत्कालीन भू अभिलेख निरींक्षक बिसलपुर प्रतिनियुक्ति जिला कलेक्टर कार्यालय जोधपुर ने भू अभिलेख निरींक्षक बिसलपुर के पद पर रहते हुए ग्राम पालासनी के खाता संख्या 120 डोली भूमि आसन श्री चिडियानाथ जी वाके देह का नोट दिनांक 24–01–2018 को जमाबंदी मे लगाया है जो चार लाईन से काटा

हुआ है । नामांतरकरण संख्या 2191 दिनांक 15–6–2018 को स्वीकृत हुआ है। जमाबंदी मे डोली का नोट अंकित होने के उपरांत पटवारी द्वारा नामांतरकरण बाद मे दर्ज करने पर आप द्वारा जांच की गई है । जिसके लिए आप दोशी है । आपका उक्त कृत्य दण्डनीयता की श्रेणी मे आता है ।

जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा अपीलांट को जारी उक्त पत्र दिनांक आरोप पत्र 24–12–2020 के जवाब मे अपीलांट की ओर से दिनांक 27–1–2021 को जिला कलेक्टर (भू.अ.) जोधपुर को अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जाने पर जिला कलेक्टर जोधपुर की ओर से उक्त विभागीय जांच मे श्री ललित गोयल आई.ए.एस.(प्रशिक्षु) उपायुक्त नगर निगम जोधपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया तथा विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थापक अधिकारी तहसीलदार जोधपुर को नियुक्त किया गया । जांच अधिकारी के समक्ष अपीलांट ने अपना पक्ष एवं प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया । जिस पर जांच अधिकारी श्री ललित गोयल की ओर से जिला कलेक्टर जोधपुर को जांच रिपोर्ट दिनांक 31–3–2021 को प्रस्तुत की जिसमे "अपीलांट हिंगलाजदान के विरूद्ध आरोप सिद्ध नही किया जा सकता" का उल्लेख होते हुए जिला कलेक्टर जोधपुर ने अपीलांट को परिनिन्दा (censure) के दण्ड से दण्डित करने का आदेश दिनांक 17–1–2022 को पारित कर दिया, जिसके विरूद्ध अपीलांट हिंगलाजदान चारण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट हिंगलाजदान चारण हाल भू अभिलेख निरीक्षक दईकडा स्वयं उपस्थित । अपीलांट ने उनके विरूद्ध लगाये गये उक्त आरोप को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि उनके द्वारा प्रस्तुत अपील मे उल्लेखित तथ्यो को उनके जवाब एवं बहस का अंग सुमार किया जाये तथा यह भी कथन किया कि उनके द्वारा उक्त आरोप का प्रत्युत्तर दिनांक 27–1–2021 को जिला कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत किया गया जिसमे यह निवेदन किया कि तत्समय मेरे पास मण्डोर वृत के साथ अतिरिक्त कार्यभार भू अभिलेख निरीक्षक वृत बिसलपुर का भी चार्ज था । दिनांक 5–6–2018 को ग्राम बिसलपुर मे आयोजित राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 मे पटवारी पालासनी द्वारा उक्त नामांतरकरण संख्या 2191 जांच के लिए प्रस्तुत किया तथा कथन किया कि बरवक्त जांच मौजा पालासनी की चालू जमाबंदी संवत 2058–61 के खाता संख्या 120 मे खसरा नंबर 216 रकबा 6.01 बीघा, ख्सरा नंबर 1278 / 1 रकबा 10.09 बीघा, खसरा नंबर 1411 / 1 रकबा 6.19 बीघा, 1498 / 1 रकबा 5.03 बीघा एवं 1500 / 2 रकबा 10.19 बीघा भूमि श्री चूनाराम पि0 अनाराम जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार के नाम से दर्ज थी एवं पूर्व के नामांतरकरण संख्या 1035 के द्वारा रहन, नामांतरकरण संख्या 1429 के द्वारा रहनमुक्त एवं नामांतरकरण संख्या 1448 दिनांक 6–7–2010 के द्वारा बेचान खसरा नंबर 1533 / 1 रकबा 3.10 बीघा लक्ष्मी पत्नी मादाराम के अमल दरामद का नोट अंकित किये

8/6/2022
डिविजनल कमिश्नर जोधपुर

हुए थे । जिससे नामांतरकरण संख्या 2191 दिनांक 5–6–2018 की जांच की गई । इनके अलावा किसी प्रकार का डोली भूमि आसन श्री चिडियानाथ जी वाके देह के नाम से उक्त खाता मे नोट अंकित किया हुआ नही था ।

अपीलांट ने अपनी बहस मे यह भी कथन किया कि नामांतरकरण संख्या 2191 की जांच दिनांक 5–6–2018 के बाद ही ग्राम पालासनी की चालू जमाबंदी संवत् 2058–2061 के खाता संख्या 120 मे डोली भूमि आसन श्री चिडियानाथ जी वाके देह के नाम से नोट का अंकन किया गया, जिसकी पुष्टि पटवारी पलासनी रसाल सोलंकी द्वारा दिनाक 27–2–2020 को प्रस्तुत कारण बताओ नोटिस का स्पष्टीकरण मे बताया कि मेरे द्वारा जमाबंदी मे नामांतरकरण संख्या 2191 स्वीकृत के पश्चात यानि दिनांक 15–6–2018 के बाद ही डोली का नोट अंकित किया गया एवं पटवारी पालासनी के विरूद्ध प्रस्तावित 16 सीसीए की कार्यवाही मे अपने आरोप का प्रत्युत्तर जवाब मे पैरा संख्या 2, 3 व 4 मे उल्लेखित किया कि मेरे द्वारा नामांतरकरण संख्या 2191 स्वीकृत दिनांक 15–6–2018 हो जाने पर जमाबंदी मे विरासत का नामांतरकरण अमल दरामद अंकित किया गया तथा बाद मे माह जुलाई मे तहसीलदार जोधपुर के आदेश संख्या 315–359 दिनांक 24–1–2018 के अनुसार ग्राम पालासनी की चालू जमाबंदी संवत 2058–2061 के खाता संख्या 120 मे डोली भूमि आसन श्री चिडियानाथ जी वाके देह का नोट अंकित किया गया अर्थात तत्कालीन पटवारी के जवाब से स्पष्ट होता है कि जमाबंदी मे डोली का नोट माह जुलाई 2018 मे लगाया गया जो कि मेरे द्वारा नामांतरकरण संख्या 2191 की जाचं दिनांक 5–6–2018 के पश्चात की अवधि का है इसलिए अपीलांट के विरूद्ध लगााया गया आरोप निराधार होते हुए जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा दिया गया दण्ड निरस्त योग्य है । अपीलांट ने अपने उक्त कथन की पुष्टि मे पटवारी रसाल सोलंकी तत्कालीन पटवारी पालासनी द्वारा जिला कलेक्टर जोधपुर को प्रस्तुत किये गये जवाब की छायाप्रतियां प्रस्तुत की है ।

अपीलांट हिंगलाजदान ने अपनी बहस मे यह तथ्य भी प्रकट किया कि तत्कालीन पटवारी रसाल सोलंकी का स्थानांतरण पटवार मण्डल खारीखुर्द से पालासनी हो जाने से पटवारी रसाल सोलंकी द्वारा पटवार मण्डल पालासनी का चार्ज पूर्व पटवारी गुड्डी मीणा से मई 2018 मे प्राप्त किया तथा यह भी कथन किया कि तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिये गये डोली भूमि दर्ज करने के आदेश कमांक/भूअ/2018/315–359 दिनांक 24–1–2018 एवं 12–4–2018 जो तत्कालीन पटवारी रसाल सोलंकी ने दिनांक 4–7–2018 को प्राप्त की जिससे भी स्पष्ट होता है कि डोली का नोट जुलाई 2018 मे नामांतरकरण संख्या 2191 पर अपीलांट द्वारा जांच के लगाये गये नोट दिनांक 5–6–2018 के बाद तत्कालीन पटवारी द्वारा लगाया गया जिसे पटवारी रसाल सोलंकी ने अपने जवाब मे स्वीकारा है ।

अपीलांट ने अपने कथनो मे यह भी बताया कि उक्त प्रकरण की जांच मे नियुक्त जांच अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 31–3–2021 को जिला कलेक्टर जोधपुर को प्रस्तुत जांच

प्रतिवेदन मे जमाबंदी मे कटे हुए नोट के समक्ष कोई भी दिनांक अंकित नही है, यह कह पाना अत्यन्त कठिन है कि अपीलांट ने नामांतरकरण की जांच की तो यह नोट जमाबंदी मे अंकित था या नही एवं कार्मिक के विरूद्ध आरोप सिद्ध नही किया जा सकता तथा पर्याप्त आधार नही मानकर आरोप प्रमाणित नही माना गया है । अपीलांट ने यह भी कथन किया कि जांच प्रतिवेदन मे श्रीमती रसाल सोलंकी तत्कालीन पटवारी पालासनी द्वारा खुद ने माना है कि नामांतरकरण होने के बाद डोली का नोट लगाना एवं गलत नोट लग जाने से जमाबंदी मे चार लाईन से नोट को कांटे जाने के तथ्यो की रिपोर्ट की है । फिर भी जिला कलेक्टर महोदय जोधपुर ने अपीलांट को परिनिन्दा (censure) के दण्ड से दण्डित किये जाने पारित आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया ।

अपीलांट ने निवेदन किया कि जब जांच अधिकारी के द्वारा अपीलांट पर आरोपित आरोप को सिद्ध नही माना गया तो उक्त स्थिति मे आरोप सिद्ध नही होने के कारण उसके विरूद्ध 16 सीसीए कार्यवाही ड्रोप करनी चाहिये थी परंतु जिला कलेक्टर महोदय ने बिना दस्तावेजी सबूत एवं अन्य किसी आधार के बिना मेरे विरूद्ध ड्रोप योग्य 16 सीसीए के आरोप पत्र को 17 सीसीए मे परिवर्तन कर उसे परिनिन्दा (censure) के दण्ड से दण्डित किया है जो पूर्णतया न्यायोचित नही होने से अपीलांट की अपील को स्वीकार कर उसे दोषमुक्त करने का निवेदन किया अन्यथा अपीलांट पदोन्नति से वंचित हो जायेगा एवं वरिष्ठता पर कुप्रभाव पडेगा ।

हमने अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील में उल्लेखित तथ्यों एवं उसके समर्थन मे प्रस्तुत दस्तावेजो का अध्ययन किया तथा अपीलांट की व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान प्रकट तथ्यो पर मनन किया तथा प्रस्तुत अपील मे जिला कलेक्टर जोधपुर एवं विभागीय पैरोकार तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रेषित टिप्पणी का भी अध्ययन किया।

अपीलांट ने यह अपील जिला कलेक्टर (भू.अ.) जोधपुर के द्वारा पारित आदेश कमांक भू. अ./स्थापना/2021/6107 दिनांक 12–7–2021 के विरूद्ध पेश की गई है जिसमे जिला कलेक्टर जोधपुर ने अपीलांट के विरूद्ध यह आरोप लगाते हुए दण्डित किया है कि **आप हिंगलाजदान चारण तत्कालीन भू अभिलेख निरींक्षक बिसलपुर हाल प्रतिनियुक्ति जिला कलेक्टर कार्यालय जोधपुर ने भू अभिलेख निरींक्षक वृत बिसलपुर के पद पर रहते हुए "ग्राम पालासनी के खाता संख्या 120 डोली भूमि आसन श्री चिडियानाथ जी वाके देह का नोट दिनांक 24–01–2018 को जमाबंदी मे लगाया है जो चार लाईन से काटा हुआ है । नामांतरकरण संख्या 2191 दिनांक 15–6–2018 को स्वीकृत हुआ है। जमाबंदी मे डोली का नोट अंकित होने के उपरांत पटवारी द्वारा नामांतरकरण बाद मे दर्ज करने पर आप द्वारा जांच की गई है । जिसके लिए आप दोषी है।"**

8/13/2022

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

उक्त आरोप के संबंध मे अपीलांट द्वारा इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील के पैरा 4 मे दिनांक 5–6–2018 को ग्राम बिसलपुर मे आयोजित राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 मे पटवारी पालासनी द्वारा उक्त नामांतरकरण संख्या 2191 जांच के लिए प्रस्तुत किया। बरवक्त जांच मौजा पालासनी की चालू जमाबंदी संवत 2058–61 के खाता संख्या 120 मे खसरा नंबर 216 रकबा 6.01 बीघा, खसरा नंबर 1278/1 रकबा 10.09 बीघा, खसरा नंबर 1411/1 रकबा 6.19 बीघा, 1498/1 रकबा 5.03 बीघा एवं 1500/2 रकबा 10.19 बीघा भूमि श्री चूनाराम पि0 अनाराम जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार के नाम से दर्ज थी एवं पूर्व के नामांतरकरण संख्या 1035 के द्वारा रहन, नामांतरकरण संख्या 1429 के द्वारा रहनमुक्त एवं नामांतरकरण संख्या 1448 दिनांक 6–7–2010 के द्वारा बेचान खसरा नंबर 1533/1 रकबा 3.10 बीघा लक्ष्मी पत्नी मादाराम के अमल दरामद का नोट अंकित किये हुए थे । अपीलांट हिंगलाजदान चारण भू. अभिलेख निरीक्षक बिसलपुर द्वारा नामांतरकरण संख्या 2191 दिनांक 5–6–2018 की जांच की गई उस वक्त किसी प्रकार का डोली भूमि आसन श्री चिडियानाथ जी वाके देह के नाम से उक्त खाता मे नोट अंकित किया हुआ नही था, बल्कि यह नोट नामांतरकरण संख्या 2191 की जांच के बाद ही ग्राम पालासनी की चालू जमाबंदी संवत 2058–2061 मे अंकित किया गया था जिसकी पुष्टि स्वरूप श्री हिंगलाजदान चारण ने अपने अपील के संलग्न रसाल सोलंकी पटवारी पालासनी द्वारा दिनांक 27–2–2020 जिला कलेक्टर जोधपुर को प्रस्तुत कारण बताओ नोटिस के स्पष्टीकरण मे बताया कि मेरे द्वारा जमाबंदी मे नामांतरकरण संख्या 2191 स्वीकृत के पश्चात यानि दिनांक 15–6–2018 के बाद ही डोली का नोट अंकित किया गया एवं पटवारी पालासनी के विरूद्ध प्रस्तावित 16 सीसीए की कार्यवाही मे अपने आरोप का दिनांक 27.02.2020 को प्रस्तुत पैरा संख्या 2, 3 व 4 मे उल्लेखित किया कि उसके द्वारा नामांतरकरण संख्या 2191 दिनांक 15–6–2018 को स्वीकृत हो जाने पर जमाबंदी मे विरासत का नामांतरकरण अमल दरामद अंकित किया गया तथा बाद मे माह जुलाई मे तहसीलदार जोधपुर के आदेश संख्या 315–359 दिनांक 24–1–2018 के अनुसार ग्राम पालासनी की चालू जमाबंदी संवत 2058–2061 के खाता संख्या 120 मे डोली भूमि आसन श्री चिडियानाथ जी वाके देह का नोट अंकित किया गया अथार्त तत्कालीन पटवारी के जवाब से स्पष्ट होता है कि जमाबंदी मे डोली का नोट माह जुलाई 2018 मे लगाया गया जो कि अपीलांट द्वारा नामांतरकरण संख्या 2191 की जाचं दिनांक 5–6–2018 के पश्चात की अवधि का है । नामांतरकरण संख्या 2191 ग्राम पालासनी का अवलोकन से यह प्रकट है कि उक्त म्युटेशन खातेदार चूनाराम के फोत होने पर विरासत का उसके वारिसान के नाम का पटवारी पालासनी द्वारा भरकर जांच हेतु प्रस्तुत किया जाने पर उक्त नामांतरकरण संख्या 2191 की जांच दिनांक 5–6–18 को श्री हिंगलाजदान चारण आई.एल.आर. बिसलपुर द्वारा दिनांक 5–6–2018 को की गई है ।

इसके अलावा इस प्रकरण मे श्री ललित गोयल आई.ए.एस.(प्रशिक्षु) द्वारा जांच सम्पन्न कर उनके जांच प्रतिवेदन मे यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि जमाबंदी मे कटे हुए नोट के समक्ष कोइ दिनांक अंकित नही है, यह कह पाना अत्यन्त कठिन है कि जब हिंगलाजदान चारण तत्कालीन भू.अ.निरीक्षक ने जमाबंदी की जांच की तो वह नोट जमाबंदी मे अंकित था या नही, इसलिए कार्मिक के विरूद्ध आरोप सिद्ध नही किया जा सकता तथा इसका उल्लेख जिला कलेक्टर जोधपुर ने अपने निर्णय मे करते हुए आरोपी कार्मिक श्री हिंगलाजदान चारण के विरूद्ध 16 सी.सी.ए. मे विभागीय कार्यवाही बाबत पर्याप्त आधार नही मानते हुए आरोपी कार्मिक के विरूद्ध 16 सीसीए. की कार्यवाही को 17 सीसीए मे परिवर्तित करते हुए कार्मिक को परिनिन्दा (censure) के दण्ड से दण्डित किया है जो न्यायोचित नहीं होने से समर्थन योग्य नहीं है ।

उपरोक्त समस्त तथ्यों पर गहनतापूर्वक विचार करने एवं अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो, जवाब आदि का अध्ययन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12–7–2021 को निरस्त किया जाता है। कार्मिक को भविष्य मे सतर्कता से राजकीय कार्य सम्पादित करने की हिदायत के साथ उक्त अपील निस्तारित की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 8 मार्च, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

8/3/2022

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर